न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 181/2022

अनवान : –

1. चना देवी पुत्री गुगनराम पत्नी उदाराम जाति मेघवाल निवासी नीमला हाल 9 डीडब्ल्यूएम तहसील रावतसर।

– प्रार्थीया

बनाम्

1. रोशनी पत्नी ताराचन्द जाति मेघवाल निवासी नीमला तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक कार्यालय उप तहसील खुंईया तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **सायला**
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **गैरसायलान**

निर्णय दिनांकः 25/09/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा खुंईया तहसील नोहर के खसरा न0 351 की 28 बीघा 12 बिस्वा भूमि व रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खसरा न0 229/1 की 1.3910 हैक्ट, ख0न0 232/2 की 5.7670 हैक्ट, 317 की 3.7940 हक्ट, 325 की 6.9560 हैक्ट भूमि सायला के दादा भादरराम के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि सायला के दादा भादरराम के फौत होने के बाद सायल के पिता गुगनराम को विरासतन प्राप्त हुई थी इसलिए उक्त भूमि सायला की दादालाई भूमि है जिसमें सायला का जन्मजात हक हिस्सा है।

उपरोक्त कृषि भूमि को सायला के पिता गुगनराम ने गैरसायला संख्या 1 को दिनांक 09.03.2011 को जरिये दान पत्र सम्पूर्ण भूमि दान कर दी तथा सायला व तरतीवी प्रतिवादीया संख्या 4 ता 5 के हकों का हनन कर उनको अपने हक हिस्से से वंचित कर दिया। गैरसायला संख्या 1 ने विधि विरूद्ध रूप से गुगनराम की फर्जी पुत्र वधु बनकर भूमि प्राप्त की है जबकि सायला के कोई भाई नहीं है तो गैरसायला संख्या 1 सायला के पिता की पुत्र वधु कैसे हो सकती है गुगनराम के सिर्फ 3 पुत्रिया थी। सायला का पिता गुगनराम दान पत्र के समय वृद्ध व बिमार था उसकी मानसीक स्थिति खराब थी जिसका फायदा उठाकर गैरसायला संख्या 1 ने सम्पूर्ण भूमि विधि विरूद्ध अपने नाग करवा ली जब सायला के पिता को इसका पता चला तो उसकी मानसिक स्थिति और खराब हो गई जिसके चलते दिनांक 14.12.2012 को सायला के पिता का देहान्त हो गया।

उपरोक्त भूमि सायला की पैतृक दादालाई भूमि थी जिसमें सायला का जन्म जात हक हिस्सा था इसलिए सायला न्यायालय से दस्तावेज दान पत्र को शुन्य घोषित करवा सायला व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के [illegible] हि० [illegible] करवा पाने की अधिकारिणी है।

गैरसायला संख्या 1 विधि [illegible] भूमि रहन, बैय करने की फिराक में हैं तथा समस्त भूमि को [illegible] दे रही है यदि [illegible]पनी योजना में कामयाब हो जाती है तो सायला व तरतीवी प्रति[illegible] संख्या 4 ता 5 को [illegible]य क्षति होगी जिसकी भरपाई बाद में किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है इसलिए सायला गैरसायला संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 17:55:57 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल ना करे तथा मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा नीमला के खाता स0 60/58 की कुल 17.9080 हैक्ट भूमि में से 2985/8954 हिस्सा भूमि व रोही मौजा खुंईया तहसील नोहर के खाता स0 320/311 की कुल 7.2480 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया की सायला के पिता गुगनराम द्वारा अप्रार्थी स0 1 के पक्ष में दिनांक 09.03.2011 को दानपत्र किया गया है एवं गुगनराम की सेवा चाकरी गुगनराम के भाई रामेश्वर का पुत्र ताराचन्द करता था जो की गुगनराम का भतीजा था एवं खोलायत पुत्र है उत्तरदाता रिकार्डेड खातेदार है एवं रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता वकील प्रार्थी सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त भूमि पूर्व में सायला के दादा भादरराम के नाम दर्ज थी एवं उनके बाद सायला के पिता गुगनराम के नाम दर्ज हुई। उपरोक्त कृषि भूमि को सायला के पिता गुगनराम ने गैरसायला संख्या 1 को दिनांक 09.03.2011 को जरिये दान पत्र सम्पूर्ण भूमि दान कर दी तथा सायला व तरतीवी प्रतिवादीया संख्या 4 ता 5 के हकों का हनन कर उनको अपने हक हिस्से से वंचित कर दिया। गैरसायला संख्या 1 ने विधि विरूद्ध रूप से गुगनराम की फर्जी पुत्र वधु बनकर भूमि प्राप्त की है जबकि सायला के कोई भाई नहीं है तो गैरसायला संख्या 1 सायला के पिता की पुत्र वधु कैसे हो सकती है गुगनराम के सिर्फ 3 पुत्रिया थी। सायला का पिता गुगनराम दान पत्र के समय वृद्ध व बिमार था उसकी मानसीक स्थिति खराब थी जिसका फायदा उठाकर गैरसायला संख्या 1 ने सम्पूर्ण भूमि विधि विरूद्ध अपने नाग करवा ली। गैरसायल स0 1 अपने नाम दर्ज भूमि का नाजायज फायदा उठाकर उक्त भूमि को रहन, बैय करना चाहते है इसलिए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की सायला के पिता गुगनराम द्वारा अप्रार्थी स0 1 के पक्ष में दिनांक 09.03.2011 को दानपत्र किया गया है एवं गुगनराम की सेवा चाकरी गुगनराम के भाई रामेश्वर का पुत्र ताराचन्द करता था जो की गुगनराम का भतीजा था एवं खोलायत पुत्र है उत्तरदाता रिकार्डेड खातेदार है एवं रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित है। इसलिए सायला को कोई दावा व प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकारी नही है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया व अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत [illegible] 2023 पेज न0 372 ता 375 का अध्ययन कर इन्हें मार्गदर्शी सिद्धान्त [illegible] किया। [illegible] अध्ययन के उपरान्त हम इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त [illegible] अधिकारी की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 [illegible] धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 17:55:57 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायला स0 1 के नाम दर्ज है एवं पूर्व में प्रार्थीया के दादा भादरराम के नाम दर्ज रही है प्रार्थीया का कथन है कि वाद भूमि पैतृक है सायला के पिता द्वारा सिर्फ अपने हक हिस्सा को जरिये दानपत्र/स्थानान्तरण किया जा सकता था जबकि प्रार्थीया का भी उक्त भूमि में जन्मजात हक हिस्सा था अप्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि अप्रार्थीया को जरिये दानपत्र प्राप्त हुई है पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक वाद भूमि पूर्व में भादरराम जो की सायला के दादा के नाम दर्ज थी एवं उनके बाद सायला के पिता गुगनराम के नाम दर्ज हुई लेकिन सायला के पिता गुगनराम द्वारा अपनी समस्त भूमि का दानपत्र अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया है हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें एवं अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत के अनुसार भी कोई भी व्यक्ति अपने हिस्सा से अधिक भूमि का हस्तानान्तरण करता है तो ऐसा दस्तावेज शुन्य व अवैध है एवं बिना निरस्त करवाये राजस्व न्यायालय पैतृक भूमि में हिस्सा निर्धारित कर सकता है जो की मूल वाद में तय होना है। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में आंशिक साबित होता है क्योकि उक्त भूमि में प्रार्थीया के हक हिस्सा हेतु अप्रार्थी का पाबन्द किया जाना उचित है न की सम्पूर्ण भूमि में पाबन्द किया जाना। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी में प्रार्थीया के हक हिस्सा को बैय की जाती है तो प्रार्थी को असुविधा होगी। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में आंशिक साबित होता है।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थीया के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति आंशिक साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट आंशिक स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीया विरूद्ध अप्रार्थीया इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा नीमला के खाता स0 60/58 की कुल 17.9080 हैक्ट भूमि में से 2985/8954 हिस्सा भूमि व रोही मौजा खुंईया तहसील नोहर के खाता स0 320/311 की कुल 7.2480 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में प्रार्थीया के हक हिस्सा की हद तक न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 25/09/25 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 17:55:57 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर